वित्त निर्देश 50/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 444/एफ–2016–04–03289/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों हेतु सेवानिवृत्ति उपादान एवं मृत्यु उपादान लागू करने बाबत्।

——— 00 ———

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 977/सी–761/वि/नि/चार/04, दिनांक 27.10.2004 द्वारा 1.11.2004 अथवा इसके पश्चात् नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई परिभाषिक अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है। इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 389/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 5.9.2017 (वित्त निर्देश 40/2017) द्वारा 'नवीन अंशदायी पेंशन योजना' के सदस्यों की मृत्यु/अपंगता पर ज्ञापन क्रमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा अंतरिम व्यवस्था के रूप में स्वीकृत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अनुरूप परिवार पेंशन की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।

2. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों की मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति के मामले में उपादान स्वीकृत करने का प्रस्ताव राज्य शासन के विचाराधीन था। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों की सेवा में रहते हुए मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–44 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किया जाये। दिनांक 5.9.2017 के पश्चात् सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में शासकीय सेवक द्वारा पूरी की गई प्रत्येक छह माह की अर्हक सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के समान मृत्यु उपादान इस शर्त पर स्वीकृत की जाये कि मृत्यु उपादान की न्यूनतम राशि मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा तथा अधिकतम राशि मासिक परिलब्धियों का 33 गुणा होगा।

3. यह आदेश दिनांक 1.11.2004 से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 1.11.2004 के पश्चात् नवनियुक्त राज्य शासन के उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

27/10/2017

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

पृ. क्र. 445/एफ–2016–04–03289/वि/नि/चार   नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017
प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
10. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
11. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
12. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
13. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
15. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
16. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
17. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

18. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग